न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल महोदय, ग्वालियर केम्प उज्जैन

प्रकरण क्रमांक /15–15 अपील / 3813–III–15

घासीराम पिता भागीरथ खाती
निवासी–ग्राम तिलावद मेना, जिला शाजापुर
—————— अपीलार्थी

विरूद्ध

अनोखीलाल पिता श्री सरदारसिंह खाती
मृतक द्वारा वारिसान प्रेमनारायण पिता अनोखीलाल
निवासी–तिलावल मैना तह. कालापीपल जिला शाजापुर
—————रेस्पान्डेंट

<u>माननीय अपर आयुक्त महोदय, उज्जैन संभाग उज्जैन द्वारा राजस्व अपील प्रकरण क्रमांक 308/11–12 अपील में पारित आदेश दिनांक 28/05/2015 के विरूद्ध यह याचिका श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन है ।</u>

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि, रेस्पान्डेंट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धारा 250 म.प्र. भू–राजस्व संहिता का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम तिलावद मेना में स्थित कृषि भूमि सर्वे नं. 1577/1 रकबा 0.266 हे., 1589/1 रकबा 0.021 हे., सर्वे नं. 1581/1 रकबा 0.303 हें. व सर्वे नं. 1592/4 रकबा 0.178 हे. का सीमांकन करवाया गया था जिसमें उक्त भूमियों पर अपीलांट का अवैध आधिपत्य पाया गया उक्त भूमि से अपीलांट का अवैध आधिपत्य हटाया जाकर आधिपत्य प्राप्ति हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया था जिसमें उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य, आपत्ति तर्क श्रवण उपरान्त माननलीय अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार टप्पा अरिनयाकला द्वारा दिनांक 29/07/2011 को आलोच्य आदेश पारित करते हुए अपीलार्थी को वादोक्त भूमि से बेदखल किये जाने का आदेश पारित किया जिसके विरूद्ध माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय, शुजालपुर के समक्ष अपील प्रकरण क्रमांक 84/10–11 संस्थित की गई उक्त अपील दिनांक 23/11/2012 को निरस्त होने से दुखी होकर प्रार्थी की ओर से अपील आवेदन पत्र

निरन्तर..............2

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

आदेश पृष्ठ

भाग – अ

प्रकरण कमांक अपील 3813–तीन/2015 जिला शाजापुर

घासीराम विरूद्ध अनोखीलाल

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकरों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
17 –12–2015	आवेदक अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया। 2/ प्रकरण में उपलब्ध आदेश की सत्यापित प्रति अवलोकन किया। आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 28–5–15 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। अपर आयुक्त ने अपने आदेश में निष्कर्ष निकाला है कि *''इस बात को प्रमाणित करने में सिविल न्यायालय में भी असफल रहा है कि उसका विवादित जमीन पर किस हैसियत से कब्जा है क्या उसके द्वारा उक्त जमीन कय की थी या पारिवारिक बटवारे से प्राप्त हुई थी या दान पत्र से प्राप्त हुई थी। उक्त भूमि पर उसका कब्जा किस विधिक आधार पर है प्रमाणित नहीं किया गया है इसलिए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जा सीमांकन प्रतिवेदन के आधार पर धारा 250 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 के तहत कब्जा दिलाया जाने का जो आदेश दिया है वह विधिसंगत है। चूंकि विवादित जमीन का भूमिस्वामी अनोखीलाल पिता सरदारसिंह है इसलिये भूमिस्वामी को अपनी जमीन पर कब्जा प्राप्त करने का हक राजस्व न्यायालय से मांग कर सकता है या सिविल न्यायालय से भी मांग सकता है क्योंकि वह उक्त जमीन का भूमिस्वामी है।''* अपर आयुक्त द्वारा निकाल गये उक्त निष्कर्ष में प्रथमदृष्टया कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती है। दर्शित परिस्थिति इस निगरानी में ग्राह्यता का कोई आधार प्रकट नहीं होने से अग्राह्य की जाती है। प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो। (डॉ0 मधु खरे) सदस्य	

18 December 2015